छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़–492002
दूरभाष :–0771–2512111, 2512121, फैक्स :– 0771–2512112, 2512122
website: www.cghb.gov.in

//आदेश//

कमांक 08
दिनांक 19-09-2022

विषय :– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के संपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शुल्क की दरों में परिवर्तन बाबत् ।

संदर्भः– 71वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 17.08.2022 में लिये गये निर्णय के एजेण्डा कमांक 03 संकल्प कमांक 1947/03/71/08/2022.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 71वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 17.08.2022 में लिये गये निर्णय के एजेण्डा कमांक 05 संकल्प कमांक 1949/05/71/08/2022 के निर्णयानुसार संचालक मंडल द्वारा दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के संपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से वर्तमान शुल्क की दरों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :–

1. भूसंधारण शुल्कः–

वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
रू.10.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष अथवा आधिपत्य पूर्व भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त (परिपत्र क. 05/01/2007 दिनांक 19.01.2007)	रू. 15.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष

2. आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्ति पर भारित सरचार्ज (कास सबसिडी चार्जेस):–

क.		क्षेत्रफल	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
1.	"अ"	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (200 वर्ग मी. एवं उससे अधिक)	रू. 4,000.00	भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू.1.50 प्रति वर्गफीट
	"ब"	यदि केवल भूखण्ड हो तो (400 वर्गमीटर एवं उससे अधिक)		
2.	"अ"	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (100 वर्ग मी. से 200 वर्गमीटर तक)	रू. 2,000.00	भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू.1.50 प्रति वर्गफीट
	"ब"	यदि केवल भूखण्ड हो तो (200 वर्ग मीटर से 400 वर्गमीटर तक)		
3.	"अ"	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (50 वर्ग मी. से 100 वर्गमीटर तक)	रू. 1,500.00	भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू.1.50 प्रति वर्गफीट
	"ब"	यदि केवल भूखण्ड हो तो (100 वर्ग मीटर से 200 वर्गमीटर तक)		
4.	"अ"	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मी. से 50 वर्गमीटर तक)	रू. 1,000.00	भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू.1.50 प्रति वर्गफीट
	"ब"	यदि केवल भूखण्ड हो तो (50 वर्ग मीटर से 100 वर्गमीटर तक)		
5.	"अ"	आबंटित भूमि का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मी. तक)	रू. 500.00	भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू.1.50 प्रति वर्गफीट
	"ब"	यदि केवल भूखण्ड हो तो (50 वर्गमीटर तक)		

मा.मं. मण्डल मुख्यालय आवक क. 3387

3. दस्तावेज शुल्कः—

आबंटित सम्पत्ति का विवरण भवन हेतु	शुल्क			
	आवासीय		व्यवसायिक	
	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
25 वर्ग मीटर तक भवन	रू. 200.00	समस्त प्रकार के भवनों हेतु रू. 2000.00 प्रति भवन	रू.500.00	समस्त प्रकार के भवनों हेतु रू. 2000.00 प्रति भवन
26 वर्ग मीटर से 50 वर्ग मीटर तक	रू.400.00		रू.1,000.00	
50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक	रू.600.00		रू.1,500.00	
100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	रू.1,000.00		रू.2,000.00	
200 वर्ग मीटर से अधिक	रू.1,500.00	-	रू.3,000.00	

केवल भूखण्ड हेतु (जहाँ भवन निर्माण नहीं है)

क्षेत्रफल	शुल्क			
	आवासीय		व्यवसायिक	
	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
50 वर्ग मीटर तक	रू.200.00	समस्त प्रकार के भूखण्डों हेतु रू. 2000.00 प्रति भूखण्ड	रू.500.00	समस्त प्रकार के भूखण्डों हेतु रू. 2000.00 प्रति भूखण्ड
50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक	रू.400.00		रू.1,000.00	
100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	रू.600.00		रू.1,500.00	
200 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	रू.1,000.00		रू.2,000.00	
400 वर्ग मीटर से अधिक	रू.1,500.00		रू. 3,000.00	

4. भवन निर्माण अनापत्ति शुल्क एवं बिल्डिंग परिमिशन शुल्कः—

		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तक		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तथा अधिक	
		वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
1.	यदि आबंटी भूखण्ड पर नये सिरे से निर्माण प्रस्तावित है या आबंटी संपत्ति में अतिरिक्त परिवर्तन प्रस्तावित है या पूर्व के भवन को तोड़कर पुनः निर्माण प्रस्तावित है। (बशर्ते वहाँ एक ही आवासीय इकाई रहे और अतिरिक्त इकाई का निर्माण न किया जाए)	रू.1000.00	रू. 5000.00	रू.2000.00	रू. 3000.00
2.	आबंटी सम्पत्ति में केवल कम्पाऊण्डवाल, गैरेज, पोर्च कार्य प्रस्तावित है तो (अर्थात् जहाँ प्लिंथ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है)	रू.500.00	रू. 5000.00	रू.1000.00	रू. 3000.00

5. आवासीय/व्यावसायिक, भवन/भूखण्ड, दुकान आदि के बिकय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क :–

क्र.	संपत्ति का प्रकार	वर्तमान विक्रय अनुमति शुल्क	संशोधन पश्चात् विक्रय अनुमति शुल्क
1	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. प्रकार के भवन/भू–खण्ड (आवासीय संपत्ति)	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
2	एम.आई.जी./एच.आई.जी प्रकार के भवन/ भू–खण्ड (आवासीय संपत्ति)	रू. 2,000.00	रू.5,000.00
3	व्यवसायिक संपत्ति अ) रू. 15.00 लाख तक के मूल्य की संपत्ति पर ब) रू. 15.00 लाख से अधिक के मूल्य की संपत्ति पर	रू. 2,000.00 रू. 3,000.00	रू. 3,000.00 रू. 5,000.00

6. भूखण्ड/भवन परिवर्तन शुल्क :–

क्र.	योजना का प्रकार	वर्तमान शुल्क	संशोधन पश्चात् शुल्क
1	अटल आवास/ईडब्ल्यूएस	रू. 1,000.00	रू. 1,25,0.00
2	निम्न आय वर्ग/दीनदयाल आवास	रू. 2,000.00	रू. 2,500.00
3	एमआईजी	रू. 5,000.00	रू. 6,000.00
4	एचआईजी	रू. 10,000.00	रू. 15,000.00
5	व्यावसायिक	–	रू. 20,000.00

7. पूँजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं आकस्मिक व्यय की शुल्क :–

संपत्ति का प्रकार	पूँजीगत ब्याज की दर	पर्यवेक्षण शुल्क की दर	आकस्मिक व्यय की दर	मार्केटिंग व्यय की दर
ई.डब्ल्यू.एस.	5%	8%	1%	1%
एल.आई.जी.	6%	8%	1%	1%
एम.आई.जी.	8%	8%	1%	1%
एच.आई.जी.	8%	8%	1%	1%
भूखण्ड (विकास कार्य)	10%	10%	1%	1%
व्यवसायिक (शैक्षणिक एवं स्वस्थ्य संबंधी योजनाएँ सम्मिलित)	12%	14%	1%	1%

वर्तमान शुल्क दरों में उपरोक्तानुसार संशोधन करने का निर्णय पारित करते हुए अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मंडल के आदेशानुसार

19/9/22

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

पृ. कमांक 2530 /अ.आ./तक.शाखा/मुख्या./22 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 /09/2022.

प्रतिलिपि:–

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. मंडल सचिवालय, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. अपर आयुक्त,(जे/पी.), छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. उपायुक्त, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
9. वास्तुविदं, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
10. लेखाधिकारी (ब)(ऑडिट), छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
11. समस्त कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल..... की ओर सूचनार्थ ।

19/9/22

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर